

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001  
सूचना/विज्ञप्ति

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मू0आ0(03)2018

दिनांक:अप्रैल 19, 2018

- 1- सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 2030/6-पु0-1-15-213/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: 18/ए-1(124)-2013 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पुलिस आरक्षी वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2000 के कुल 87 पदों पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 87 पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने हेतु उनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 07-05-2018 को 35वीं, वाहिनी, पी0ए0सी0, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।
- 2- शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट [http:// uppbpb.gov.in](http://uppbpb.gov.in) पर दिनांक 27-04-2018 से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।
- 3- शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सभी पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) एवं शासनादेश संख्या-1569/6-पु0-10-2016-1200 (68)/2016 दिनांक 19-10-2016 में पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 30 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 19 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4- संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।
- 5- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

19.4.18

अपर सचिव (प्रोन्नति)  
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।